न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 108 / 2025	27.06.2025	15-10-2025

1–शहीद अहमद पुत्र अली मौहम्मद जाति मेव निवासी मकान न0 759 सैक्टर 21 सी फरीदाबाद हरियाणा हाल काश्तकार बालोज तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

2–ए.एन. एन्टरप्राईजेज जरिये प्रोपराईटर शहीद अहमद पुत्र अली मौहम्मद जाति मेव निवासी मकान न0 759 सैक्टर 21 सी फरीदाबाद हरियाणा हाल काश्तकार बालोज तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

1–उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

2–अब्दूल नासिर पुत्र अब्दूल रहमान जाति कुरेशी निवासी सीसी 1 / 11 संफदरगंज डवलपमेन्ट ऐरिया नई दिल्ली।

3–अहमद रजा पुत्र आमीन,

4–आईसा पुत्री आमीन,

5–कुर्शीदन पत्नी आमीन,

6–तैयब पुत्र चाव खां

7–तोसिप रजा पुत्र आमीन,

8–महफूज पुत्र आमीन,

9–मोईनदीन पुत्र आमीन,

10–समीम अहमद पुत्र आमीन,

11–साईदा बेगम पुत्री आमीन,

12–अयुब पुत्र चाहत,

13–आस मोहम्मद पुत्र चांव खां,

14–समसाद पत्नि इब्राहिम,

15–ईसराईल पुत्र चाहत जाति मेव निवासीयान ग्राम रायसीना हाल आबाद नांगल मुबारिकपुर तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूॅंह मेवात (हरियाणा)

(असल अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री अब्दूल कलाम	–वकील प्रार्थी
02. श्री अतरसिंह यादव	–वकील अप्रार्थी संख्या 2

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली शहीद अहमद वगै0 बनाम अब्दूल नासिर वगै0 राजस्व वाद संख्या 53 / 2025 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुऐ निवेदन किया है, कि मिन प्रार्थी द्वारा तहत अदालत के समक्ष बअनुवानी पत्रावली शहीद अहमद वगै0 बनाम अब्दूल नासिर वगै0 राजस्व वाद संख्या 53/2025 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है, जिससे अप्रार्थीयान को अस्थाई निषेधाज्ञा से रहन बैय रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति रखने हेतु पाबन्द किया गया हुआ है, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुऐ। दिनाक 22.04.2025 को प्रार्थी की ओर से तहत अदालत के समक्ष उनवानी प्रकरण में जारी नोटिसो की रसीदे पेश की गयी। तथा शेष की तलवी हेतु आगामी तारीख पेशी दिनाक 19.05.2025 नियत की गयी।

अप्रार्थी संख्या 2 ने पीठासीन अधिकारी से साठ–गाठ कर बाला–बाला पत्रावली में तारीख पेशी दिनाक 05.08.2025 लगने के पश्चात एक प्रार्थना पत्र शीध्र सुनवाई हेतु दिनाक 19.05.2025 को ही पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया जो, पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 20.05.2025 को कार्यालय रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पर बिना गौर फरमाये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट. बहस में नियत है। जबकि मूल वाद व प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. में अन्य प्रतिवादीगण की तलबी में नियत थी। जिसमें तामील भी पूर्ण रूप से नही हुई है, पीठासीन अधिकारी द्वारा शीध्र सुनवाई प्रार्थना पत्र को बाला–बाला अप्रार्थी से साठ–गाठ साज–बाज होकर प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को सूचना दिये बिना ही स्वीकार कर लिया व मूल वाद पत्रावली में तारीख पेशी छोटी कर आगामी तारीख पेशी 23.06.2025 नियत कर दी गयी जिसमें सुनवाई हेतु प्रार्थी की तलबी हेतु कोई नोटिस जारी नही किये गये। पीठासीन अधिकारी ने अप्रार्थी से साठ–गाठ कर विधि विरूद्व निर्णय पारित करने पर उतारू है, प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा ऐतराज करने पर आगामी तारीख पेशी दिनाक 05.08.2025 नियत थी जिसमें प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण व उनके अधिवक्तागण को बिना नोटिस जारी किये व सूचना दिये शीध्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कानूनन विधि विरूद्व है, तो पीठासीन अधिकारी न्यायालय में ही आवेश में आ गये और आगामी तारीख पेशी पर अपनी मनमर्जी से 27.06.2025 नियत कर दी है, जिसमें पीठासीन अधिकारी अपनी मनमर्जी से विधि विरूद्व तरीके से निर्णय करने पर आमदा है। जिससे प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय करने की उम्मीद नही है। मिन प्रार्थी ने जिन अप्रार्थीगण के विरूद्व वाद दायर किया है, वो राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है, जिन्होने पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी तिजारा के कार्यालय में देखा है, तथा अप्रार्थी द्वारा मिन प्राथी को भी ऐलानिया तौर पर धमकी दी जा रही है पीठासीन अधिकारी अपनी मनमर्जी से विधि विरूद्व तरीके से निर्णय करने पर आमदा है। जिससे प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय करने की उम्मीद नही है। वकील अप्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालय की नजीरे पेश की गयी है, 192/2023 (1) डी.एन.ज (Rev.) पृष्ट संख्या 65–66

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्थाई निषेधआज्ञा एकतरफा में जारी की गयी है। अस्थाई निषेधआज्ञा दिनाक 07.03.2025 को जारी कि गयी है, आदेश 39 नियम 4 जा0 दी0 में प्रोवीजन है, कि एकतरफा में जारी अस्थाई निषेधआज्ञा को एक माह में निस्तारण किया जाना आवश्यक है। न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 212 का निस्तारण न हो सके इस मन्शा से ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। शेष तथ्य मंनघढन्त अंकित किये गये है। तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन उनवानी प्रकरण में विधिक प्रावधानानुसार शीध्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के मनन एवं अधिवक्ताओ की बहस सुनने के पश्चात खुले न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुऐ अग्रिम तारीख पेशी नियत की गयी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बदयान्ती पर आधारित होने के कारण काबिल खारिज है।

प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित तथ्यो पर तहत अदालत से जर्ये पत्राक 391 दिनाक 20.08.2025 के द्वारा टिप्पणी तलब की गयी मुताबिक टिप्पणी के प्रार्थना पत्र शीध्र सुनवाई पेश किये जाने का पक्षकारान को विधिक प्रावधान है, विधिक प्रावधानानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर ही प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के मनन एवं अधिवक्ताओ की बहस सुनने के पश्चात खुले न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुऐ अग्रिम तारीख पेशी नियत की गयी है। यदि विचाराधीन प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्य राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है, तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही होना अंकित किया गया है। अप्रार्थीयान कंमशः 5 लगायत 15 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण अनुपस्थित दर्ज की जाकर अग्रिम कार्यवाही की गयी।

जिला कलेक्टर
[illegible] खैरथल-तिजारा (राज०)

वकुलाय के निवेदन किये जाने पर प्रकरण की बहस सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/अप्राथी संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत तथ्यो से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष बअनुवानी पत्रावली शहीद अहमद वगै0 बनाम अब्दूल नासिर वगै0 राजस्व वाद संख्या 53/2025 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सलग्न प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट के तहत स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। उनवानी प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा तहत अदालत के समक्ष शीध्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिस पर तहत अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिये जाने को लेकर न्यायालय के समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर तहत अदालत की पत्रावली को दिगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही पर भी आक्षेप प्रकट किया गया है। तहत अदालत द्वारा उनवानी प्रकरण में विधिक प्रावधानानुसार विधिक प्रक्रिया के तहत अप्रार्थी द्वारा तहत अदालत के समक्ष शीध्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिस पर विधिक प्रावधानुसार पक्षकारान की सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है। उक्त की जा रही कार्यवाही पर ऐतराज उचित प्रतीत नही है। विचाराधीन राजस्व प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य अंकित करते हुऐ प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने की नियत से उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा को पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी तिजारा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 15-10-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)